आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

-12-22 सुमित्रा देवी पति स्व0 दासु राम, निवास स्थान देवांगना चौक, दुर्गा मंडप, कोर्रा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-जबरा, थाना नं0-154, खाता संख्या-17, प्लॉट संख्या-895, रकवा-0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि बासो देवी पति बालदेव दास, निवास स्थान ग्राम-जबरा, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं केवाला की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledment No.-RCMSON22015860 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-197/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 807/रा0 दिनांक 24.02.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1629 दिनांक 29.09.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत घमण्डी घासी हैं तथा केवाला जीरा देवी के नाम से है। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 0.94 एकड़ है। पंजी-।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.2975 एकड़ भूमि है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-145/I पर जीरा देवी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2017-18 तक निर्गत् है। आवेदक की माँ जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदिका घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रही है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाता में रकवा 0.2375 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदिका को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदिका के दखल कब्जा में है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	...की टिप्पणी
1	2	
	प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। साथ ही वर्ष 2021-22 तक निर्गत् भू-लगान रसीद की प्रति भी प्राप्त है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में सुमित्रा देवी पति स्व0 दासु राम, निवास स्थान देवांगना चौक, दुर्गा मंडप, कोर्रा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-जबरा, थाना नं0-154, खाता संख्या-17, प्लॉट संख्या-895, रकवा-0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि बासो देवी पति बालदेव दास, निवास स्थान ग्राम-जबरा, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 20/12/22 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 20/12/22	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.12.22 16:58:01 +05:30
Location: 192.168.0.117